न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:—करतारसिंह पूनिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/2012
आरसीएमएस नं. 2012/00353

देवीलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी डूमासर तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी डूमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नानूराम पुत्र कान सिंह जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. बलराम
4. सुलतान
5. हंसराज

} पि0नानूराम जाति जाट निवासी डूमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2009
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
प्रकरण संख्या 53/2009 अनवान श्रवण कुमार बनाम नानूराम आदि

उपस्थिति:—
श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 6

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 23.02.23

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसमें रोही डूमासर तहसील नोहर की कृषि भूमि ख. नं. 148/2 की 5.474 है0 व ख. नं. 152 की 6.515 है0 हिन्दू खानदान की मुस्तरका जद्दी जायदाद होने एवं उक्त भूमि में पैदायशी हक हिस्सा होने की घोषणा करने एवं घोषणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपरान्त उक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करने एवं मुताबिक हक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि का खाता लगान तकसीम करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वादी वादी साबित नहीं होना मानते हुए दिनांक 05.06.2007 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेण्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील सं0 49/2007 श्रवण कुमार बनाम नानूराम पेश की जो दिनांक 23.08.2008 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत भूमि में वादी अपीलाण्ट श्रवण व रेस्पोडण्टगण बलराम आदि को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया एवं राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नानूराम पुत्र कानसिह का नाम कलमजन किया जाकर अपीलाण्ट व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम दर्ज करने का आदेश देते हुए हिस्सा अनुसार अच्छी मन्दी किस्म के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये। विचारण न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर वर्तमान अपीलाधीन निर्णय 30.03.2009 के द्वारा तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार समान रूप से अंतिम डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2009 को पारित करते समय कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कतई स्वेच्छाचारी पूर्ण नियम विरूद्ध जारी किया जो काबिल खारिजी के है। अन्तिम डिक्री पारित करते समय अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा उक्त निर्णय व डिक्री रेस्पोडेण्ट सं0 1 को फायदा पहुंचाने के लिए केवल उसकी सहमति से निर्णय पारित किया है जो काबिल अपास्त है। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंवगाया गया जो विभाजन प्रस्ताव मौका पर जाकर तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलाट को व रेस्पोडण्ट संख्या 2 ता 5 को मौका पर नोटिस भी नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार राजस्व मण्डल राजस्थान के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। उक्त निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है। प्रकरण रिमांड होन पर अपीलाण्ट को सुना नहीं गया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2021 पेज 385 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। विचारण न्यायालय ने तहसील से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील देरी से पेश करने का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है, राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील सं0 49/2007 श्रवण कुमार बनाम नानूराम पेश की जो दिनांक 23.08.2008 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत भूमि में वादी अपीलाण्ट श्रवण व रेस्पोडण्टगण बलराम आदि को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया एवं राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नानूराम पुत्र कानसिह का नाम कलमजन किया जाकर अपीलाण्ट व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम दर्ज करने का आदेश देते हुए हिस्सा अनुसार अच्छी मन्दी किस्म के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तजबीज तकसीम रिपोर्ट दिनांक 16.09.2008 पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया एवं तहसीलदार भू अभि नोहर द्वारा उसे सी.एस. किया गया है। उक्त तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर भी नहीं है ना ही यह रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार की गई है। हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालये समा विभाजन बाबत वाद मेंसमस्त पक्षकारान को साक्ष्य व सनुवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 विवादित भूमि के बाबत तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर का अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

एवं डिक्री दिनांक 30.03.2009 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 विवादित भूमि के बाबत तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रस्ताव तैयार करवा कर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/23

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner